अध्याय-III

राज्य आबकारी

अध्याय-III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर तथा आबकारी का प्रशासन करता है। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख होता है तथा तीन अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दो संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी व पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी उसे सहयोग देते हैं। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी है, जिन्हें 119 सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा सहयोग दिया जाता है इसके अतिरिक्त विभाग की सभी गतिविधियों को तथा संगत कर कानूनों व नियमों को प्रशासनित करने हेतु अन्य सम्बद्ध स्टाफ को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी तथा सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी होते है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

विभाग में कुल 13 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त) थी। इनमें से वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा ने ₹ 1,423.72 करोड़ की प्राप्तियों से अंतर्ग्रस्त 10 इकाइयों का चयन किया था। राज्य आबकारी विभाग से सम्बंधित कुल 1,804 मामलों में से 911 मामलों की नमूना-जांच में ₹ 313.97 करोड़ से अंतर्ग्रस्त पूर्व आसवनी मूल्य (एक्स-डिस्टिलरी प्राइस) के अविवेकपूर्ण निर्धारण/न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के अल्प आवंटन के कारण आबकारी शुल्क के अपवंचन/राजस्व की हानि, खुदरा आबकारी शुल्क/बोतलीकरण फीस/आवेदन शुल्क/अतिरिक्त खुदरा आबकारी शुल्क/ब्याज/शास्ति की अल्प/अवसूली तथा अन्य अनियमितताएं उजागर हुई, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

₹ करोड़ में

क्र. सं.	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	आबकारी शुल्क का अपवंचन /पूर्व आसवनी शुल्क (एक्स-डिस्टिलरी प्राइस) के अविवेकपूर्ण निर्धारण के कारण राजस्व की हानि/ न्यूनतम गारंटीकृत कोटा का अल्प आवंटन	12	102.80
2.	खुदरा आबकारी शुल्क /बोतलीकरण शुल्क /आवेदन फीस /अतिरिक्त खुदरा आबकारी शुल्क / ब्याज/शास्ति इत्यादि की अल्प/अवसूली	54	135.88
3.	अन्य अनियमितताएं	53	75.29
योग		**119**	**313.97**

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित सात मामलों में ₹ 82.32 लाख मूल्य के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा उसकी वसूली की।

विभाग ने 2019-20 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 12 मामलों में ₹ 3.16 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को भी स्वीकार किया।

₹ 96.59 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त उल्लेखनीय मामलों (पांच परिच्छेद) की अनुगामी परिछेदों में चर्चा की गई है।

3.3 न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुदग्रहण

विभाग ने 765 बिक्रीकेन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 100 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति 19,13,244 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹ 58.50 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं किया| 85 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति कम कोटा उठाने से ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति भी उदग्रहणयोग्य थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 का परिच्छेद 4.3 निर्धारित करता है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किये गए देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के न्यूनतम गारंटीकृत कोटे को उठाना अपेक्षित होगा। ऐसा न करने पर उसे न उठाए गए उस कोटे पर जो 100 प्रतिशत न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम हो गया है, खुदरा आबकारी शुल्क के बराबर शास्ति का भुगतान करना होगा। यदि न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 85 प्रतिशत से भी कम कोटा उठता है तो लाइसेंसधारी को खुदरा आबकारी शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करना होगा। सम्बंधित जिला प्रभारी को त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की समीक्षा तथा न उठाए गए न्यूनतम गारंटीकृत कोटे पर शास्ति साथ ही अतिरिक्त शास्ति की वसूली सुनिश्चित करनी होती है।

सात उपायुक्तराज्य कर एवं आबकारी[1] के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी के अधीनस्थ 1064 बिक्री केन्द्रों में से 765 में 1,70,25,246 प्रूफलीटर के निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के प्रति 1,51,12,002 प्रूफ लीटर[2] शराब उठाई गई जो 2018-19 के दौरान 19,13,244 प्रूफलीटर कम थी। इन 765 लाइसेंसधारियों पर कम कोटा उठाने के लिए ₹ 58.50 करोड़ की शास्ति अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त, उन 765 बिक्री-केन्द्रों में से 288 बिक्री-केन्द्रों ने 85 प्रतिशत बेंचमार्क से 7,31,857 प्रूफ लीटर कम कोटा उठाया था। इन 288 लाइसेंसधारियों पर ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति भी उदग्रहण योग्य थी।

---

1 बद्दी: 70 बिक्री-केंद्र ₹7.68 करोड़; काँगड़ा 152 बिक्री-केंद्र ₹0.98 करोड़; मंडी: 176 बिक्री-केंद्र ₹17.10 करोड़; सिरमौर: 39 बिक्री-केंद्र ₹9.05 करोड़; सोलन: 81 बिक्री-केंद्र ₹14.51 करोड़; शिमला: 137 बिक्री-केंद्र ₹8.13 करोड़; एवं ऊना 110 बिक्री-केंद्र ₹3.36 करोड़।

2 अल्कोहल की तीव्रता को 'डिग्री प्रूफ' के रूप में मापा जाता है। ऐसी शराब की तीव्रता के 13 भाग जिनका वजन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 12 भागों के पानी के बराबर होता है, को 100 डिग्री प्रूफ लिया जाता है। अल्कोहल के दिए गए नमूने की स्पष्ट आयतन को 100 डिग्री की तीव्रता वाले अल्कोहल के आयतन में परिवर्तित करने पर लंदन प्रूफ लीटर या प्रूफ लीटर कहा जाता है।

कम उठाया गया निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा एवं उदग्रहित शास्ति/अतिरिक्त शास्ति

शराब का प्रकार	निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	100 *प्रतिशत* से कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	प्रति प्रूफ लीटर खुदरा आबकारी शुल्क की उदग्रहण योग्य दर	शास्ति (₹ में)	85 *प्रतिशत* से कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	अतिरिक्त शास्ति (₹ में)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = 4 x 5	7	8[3]
देशी शराब	91,61,051	83,73,894	7,87,157	241	18,97,04,796	2,24,783	54,07,346
भारत में निर्मित विदेशी शराब	78,64,195	67,38,108	11,26,087	351	39,52,58,134	5,07,074	1,77,83,339
योग	**1,70,25,246**	**1,51,12,002**	**19,13,244**	**-**	**58,49,62,930**	**7,31,857**	**2,31,90,685**

आबकारी घोषणा की अवहेलना करते हुए उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने लेखापरीक्षा द्वारा विगत छः वर्षों में ऐसी ही कामियां इंगित करने के बावजूद न्यूनतम गारंटीकृत कोटा पर कोटा उठाने की स्थिति की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा नहीं की थी। इस प्रकार, सरकारी नियमों को कठोरता से लागू करने में उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी की विफलता ₹ 60.82 करोड़ (₹ 58.50 करोड़ + ₹ 2.32 करोड़) की शास्ति व अतिरिक्त शास्ति की अवसूली में परिणत हुई।

जनवरी 2021 में मामला सरकार को सूचित किया गया; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि चार उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा ₹ 25.08 करोड़ की वसूली की गई थी|

विभाग इस सम्बन्ध में बारम्बार विफलता के लिए जवाबदारी तय करें तथा उपर्युक्त आपत्तियों के अलोक में देय लाइसेंस फीस की राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए शेष बिक्री-केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करें|

3.4 खुदरा आबकारी शुल्क की अल्प वसूली

सक्षम प्राधिकारी ने 36 लाइसेंसधारियों से ₹ 31.27 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस की वसूली हेतु न तो बिक्री-केंद्र सील करने की न ही परमिट निरस्त/निलंबित करने की कोई कार्रवाई की |

[3] देशी शराब हेतु फार्मूला 85 *प्रतिशत* कम उठाई गई मात्रा x ₹241x0.1, भारत निर्मित विदेशी शराब हेतु फार्मूला: 85 *प्रतिशत* कम उठाई गई मात्रा x ₹351x0.1

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 के अनुसार किसी विशेष बिक्री-केंद्र द्वारा चुकाया जाने वाला खुदरा आबकारी शुल्क प्रत्येक बिक्री-केंद्र हेतु पूरे वर्ष के लिए नियत शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क 12 मासिक किस्तों में लगाया जाएगा जिसका भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक करना होगा तथा मार्च माह की अंतिम क़िस्त का भुगतान 15 मार्च तक पूर्ण रूप से करना होगा। यदि लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क का आगामी माह की अन्तिम तिथि तक अथवा अंतिम क़िस्त 15 मार्च तक भुगतान करने में विफल होता है तो जिले का प्रभारी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी यथास्थिति अनुवर्ती माह के प्रथम दिवस या 16 मार्च तक साधारण रूप से बिक्री-केंद्र को बंद कर सकता है। दोषी आवंटिती सरकार को हुई राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार होगा तथा इसे उससे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूला जाएगा।

2019-20 के दौरान आठ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी[4] की एम-2 पंजिकाओं[5] (रजिस्टर) की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में 36 लाइसेंसधारियों से खुदरा आबकारी शुल्क के बकाया ₹ 98.53 करोड़ के प्रति विभाग मात्र ₹ 67.26 करोड़ खुदरा आबकारी शुल्क की वसूली कर सका। किसी भी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने दोषी लाइसेंसधारियों के परमिट रद्द/निलंबित करने या बिक्री-केन्द्रों को बंद करने के लिए क़दम नहीं उठाया। केवल उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन ने सात लाइसेंसधारियों पर भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹ 10.12 करोड़ घोषित किये थे। इस प्रकार, नियमों के अनुपालन में विफलता ₹ 31.27 करोड़ के खुदरा आबकारी शुल्क की अल्प वसूली में परिणत हुई।

जनवरी 2021 में मामला सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि 36 लाइसेंसधारियों से ₹ 7.87 करोड़ की वसूली की गई तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार उसके राजस्व की रक्षा हेतु मासिक आधार पर लाइसेंसधारियों से वसूलियों की आवधिक समीक्षा के लिए तंत्र स्थापित करें तथा अधिनियम/नियम के निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना न करने पर जवाबदारी तय करें।

3.5 कोषागार चालानों का सत्यापन न करना

चालानों का सरकारी खातों में कोषागार रसीदों अर्थात ई-कोष वेबसाईट के साथ मिलान करने में विफलता तथा फर्जी चालान स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

---

[4] बद्दी: एक इकाई: ₹ 6.97 करोड़, चम्बा: एक इकाई: ₹ 0.60 करोड़, कांगड़ा: दो इकाई: ₹ 0.23 करोड़, कुल्लू: दो इकाई: ₹ 1.03 करोड़, मंडी: दो इकाई: ₹ 0.90 करोड़,सिरमौर नाहन में: दो इकाई: ₹ 8.37 करोड़, सोलन: 17 इकाई: ₹ 12.07 करोड़ तथा ऊना: नौ इकाई: ₹ 1.91 करोड़

[5] माह के दौरान भारत निर्मित विदेशी शराब व देशी शराब सहित विदेशी स्पिरिट की मात्रा, देय एवं प्राप्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस की राशि को दर्शाने वाला एक रजिस्टर।

खुदरा लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से कोटा उठाने के लिए खुदरा आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस शीर्ष 0039-राज्य आबकारी शुल्क के अंतर्गत सीधे बैंक में जमा करता है। आबकारी विभाग को जमा की गई राशि के चालान प्रस्तुत करने पर आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर शराब उठाने के लिए परमिट जारी करता है| लाइसेंसधारियों द्वारा जमा ऐसे सभी चालानों की प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टर में की जाती हैं, जिसे एम-2 रजिस्टर[6] कहते है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम संस्करण-I, 1971 के नियम 2.2 (V) में निर्धारित है कि जब सरकारी धन कोषागार में जमा हो, कार्यालयाध्यक्ष को एम-2 रजिस्टर की प्रविष्टियों के साथ कोषागार में जमा ऐसी राशि की तुलना करनी होगी तथा खुद को आश्वस्त करना होगा कि राशि सफलतापूर्वक सरकारी खाते में जमा की गई है। उसे पिछले महीने के दौरान किए गए सभी प्रेषणों के लिए हर महीने 15 तारीख तक कोषागार से एक समेकित विवरण (टीए -2) प्राप्त करना होगी, जिसकी तुलना एम-2 रजिस्टर में दर्ज की गई राशि से की जाए। यह प्रावधान अन्य बातों के साथ झूठे/फर्जी चालानों का पता लगाने, वर्गीकरण की सत्यता की जाँच इत्यादि के लिए बनाए गए हैं। कोषागार कार्य के कम्प्यूटरीकरण के उपरांत चालान हिमाचल प्रदेश सरकार के पोर्टल ई-कोष[7] के माध्यम से सत्यापित किये जा सकते है।

जुलाई 2019 में उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2018-19 में ₹ 107.30 करोड़ की वसूली होना बताया गया था परन्तु विभाग द्वारा कोषागार से मिलान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा कोषागार के अभिलेखों अर्थात ई-कोष के साथ प्राप्तियों का प्रति सत्यापन करने पर यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 में दो लाइसेंसधारियों ने उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी को ₹ 35.64 लाख की लागत की 55 रसीदे/चालान जमा किये थे तथा उनकी प्रविष्टि एम-2 रजिस्टर में की गयी थी, परन्तु वे कोषागार अभिलेखों में नहीं पाए गए। इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2019) उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई सभी रसीदों/चालानों का कोषागार के अभिलेखों से प्रति सत्यापन किया (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 के मध्य) एवं पाया कि उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी को दो लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गए ₹ 2.72 करोड़ राशि से अंतर्ग्रस्त सभी 291 रसीदे/चालान फर्जी थे। विभाग ने पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ऊना में एक प्राथमिकी (सितंबर 2019) दर्ज की एवं ₹ 29.30 लाख की राशि वसूल की (फरवरी 2020)। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2019 में एक लाइसेंसधारी द्वारा ₹ 87.24 करोड़ के 10 चेक जमा किये गए थे तथा जब उन्हें बैंक में प्रस्तुत किया गया (28-29 अगस्त 2019) बैंक ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया (29-30 अगस्त 2019)। विभाग ने बताया कि लाइसेंसधारी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की गई तथा मामला माननीय जिला न्यायालय ऊना के समक्ष लंबित है।

---

6 एम-2 रजिस्टर: प्रत्येक जिला मुख्यालय द्वारा बनाया जाने वाला वह रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारियों द्वारा चुकाई गई व देय वार्षिक, मासिक लाइसेंस फीस दर्शाई जाती है।

7 ई-कोष: हिमाचल प्रदेश सरकार की वह वेबसाईट, जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई सभी प्राप्तियां दर्शाई जाती है।

यदि विभाग ने निर्धारित नियमानुसार लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गए रसीदों/चालानों का कोषागार अभिलेखों के साथ मिलान किया होता तो ऐसी अनियमितताओं का पता प्रारंभिक स्तर पर लग जाता।

इसके अतिरिक्त, छः उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी[8] के 2014-15 से 2018-19 के अभिलेखों की नमूना-जांच (जुलाई 2019 से मार्च 2020 के मध्य) में पाया गया कि इन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने भी एम-2 रजिस्टर में की गई प्राप्ति प्रविष्टियों का कोषागार अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया था। इस तरह के मिलान के अभाव में, यह सत्यापित करने हेतु कोई प्रमाण नहीं था कि लाइसेंसधारियों से प्राप्त राशियों की प्रविष्टियां वास्तव में कोषागार में जमा की गई थीं एवं सरकारी खाते में क्रेडिट की गई थीं तथा यहाँ फर्जी रसीदों/चालानों को स्वीकार किये जाने का जोखिम था, जैसा कि उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना के मामले में हुआ था।

इस सन्दर्भ में, इस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि सरकारी खाते में जमा किये गए सभी चालानों के विवरण कोषागार निदेशालय के वेब पोर्टल (ई-कोष) पर उपलब्ध होने के बावजूद मिलान नहीं किया गया।

अप्रैल 2021 में यह परिच्छेद सरकार को प्रेषित किया गया; सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) तथा बताया कि लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गए सभी चालानों का सत्यापन अब कोषागार निदेशालय के ई-कोष पोर्टल से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सरकार धोखाधड़ी से बचने के लिए कोटा उठाने की अनुमति देने के पूर्व कोषागार अभिलेखों के साथ लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई सभी रसीदों/चालानों के आवधिक मिलान से सम्बंधित नियमों का कठोरता से अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी करें।

3.6 विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण

विभाग द्वारा क्रमशः 282 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं सात बोतलीकरण संयंत्र/डिस्टिलरीयों से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 89.70 लाख एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 44.55 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप इतने ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

राज्य सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 के अनुसार यदि लाइसेंसधारी माह के भीतर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा नहीं उठाता है, तो उसे माह के अंतिम दिन उस माह के खुदरा आबकारी शुल्क की पूरी क़िस्त चुकानी होगी एवं मार्च माह हेतु खुदरा आबकारी शुल्क का पूरा भुगतान 15 मार्च तक करना होगा। परिच्छेद 4.5(अ) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क या उसके किसी भाग की राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में विफल होता है तो उसे एक माह तक 14 *प्रतिशत* की दर से तथा उसके पश्चात् एक माह की अवधि समाप्त होने की तिथि से 18 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क का

8 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बद्दी, नूरपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना|

अगले माह के अंतिम दिन तक अथवा अंतिम क़िस्त का 15 मार्च तक भुगतान करने में विफल होता है, तो जिले का प्रभारी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी यथास्थिति आगामी माह के पहले दिन अथवा 16 मार्च को सामान्य रूप से बिक्री-केंद्र सील करेगा। हिमाचल प्रदेश पर प्रयोज्य पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.5(6a) में प्रावधान है कि निर्धारित दरों पर बोतलीकरण फीस त्रैमासिक आधार पर अर्थात वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के सात दिनों के भीतर चुकानी होगी। नियम 9.5(8) में आगे प्रावधान है कि देय तिथि तक बोतलीकरण फीस या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में बकाया की तिथि से एक माह की अवधि हेतु 12 *प्रतिशत* की वार्षिक दर पर ब्याज तथा यदि फीस का भुगतान बकाया एक माह से आगे बढ़ता है तो जब तक बकाया जारी रहे तब तक भुगतान में बकाया की प्रारंभिक तिथि से 18 *प्रतिशत* की वार्षिक दर पर ब्याज चुकाना होगा।

वर्ष 2018-19 हेतु चार उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी[9] के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 536 बिक्री-केन्द्रों में से 282 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने ₹ 47.01 करोड़ का खुदरा आबकारी शुल्क देय तिथि के बाद जमा किया था। दो से 196 दिनों तक का विलम्ब हुआ था। 45 मामलों में खुदरा आबकारी शुल्क जमा करने में 100 दिनों[10] से अधिक का विलम्ब हुआ था। अतएव ये लाइसेंसधारी आबकारी घोषणा के परिच्छेद 4.5(अ) के तहत विलंबित भुगतान पर ₹ 89.70 लाख का ब्याज चुकाने हेतु उत्तरदायी थे।

इसी भांति, तीन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी[11] के अधीन सात बोतलीकरण संयंत्र/ डिस्टिलरी ने तीन से 389 दिनों के मध्य के विलम्ब के साथ ₹ 7.17 करोड़ की बोतलीकरण फीस जमा की थी। बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर आबकारी घोषणा के परिच्छेद 4.5(अ) के तहत अपेक्षित ₹ 44.55 लाख का ब्याज नहीं लगाया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2016 से 2019 हेतु विभाग ने ₹ 1.34 करोड़ के सकल ब्याज (खुदरा आबकारी शुल्क पर ₹ 89.70 लाख एवं बोतलीकरण फीस पर ₹ 44.55 लाख) की वसूली नहीं की थी। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी /आंकलन प्राधिकारीयों ने लेखापरीक्षा में विगत पांच वर्षों में बारम्बार इंगित किये जाने के बावजूद ऐसी कमियों की समीक्षा नहीं की जो आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही एवं राजस्व की हानि को बचाने में असफलता का परिचायक है|

जनवरी 2021 में मामला सरकार को सूचित किया गया; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा ₹ 20.75 लाख की वसूली की गई थीं।

सरकार उसके राजस्व की रक्षा हेतु खुदरा विक्रेताओं, डिस्टिलरियों (आसवनियों), मदिरा निर्माणशालाओं, बोतलीकरण संयंत्रों से हुई वसूलियों की आवधिक समीक्षा संचालित करने पर विचार करें।

---

[9] खुदरा आबकारी शुल्क- उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बद्दी 32 बिक्री-केंद्र: ₹ 27.28 लाख, चम्बा चार बिक्री-केंद्र; ₹ 7.1 लाख, शिमला 229 बिक्री-केंद्र; ₹ 49.20 लाख व सोलन 17 बिक्री-केंद्र; ₹ 6.13 लाख

[10] उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बद्दी: 34 मामले; उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी चम्बा: नौ मामले; उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी शिमला: एक मामला; उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन: एक मामला

[11] बोतलीकरण फीस- उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बद्दी चार निर्माणकर्ता; ₹ 34.01 लाख, नूरपुर दो निर्माणकर्ता; ₹ 9.91 लाख व सिरमौर एक निर्माणकर्ता; ₹ 0.63 लाख

3.7 मोलासेस से स्पिरिट की कम उपज (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)

मोलासेस से स्पिरिट की कम उपज (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) ₹ 43.95 लाख की हानि में परिणत हुई।

हिमाचल प्रदेश पर प्रयोज्य पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.37 में प्रावधान है कि मोलासेस (गन्ने का भूसा) के एक माउंड (ढेर) (0.373 क्विंटल) को देशी स्पिरिट के 3.5 लंदन प्रूफ लीटर गैलन (15.391 *प्रूफलीटर*) के बराबर माना जाए। नियम 9.101 में प्रावधान है कि यदि किसी भी डिस्टिलरी में अत्यधिक अपव्यय पाया जाता है तो वित्तीय आयुक्त अपव्यय मापदंड तय कर सकता है तथा लाइसेंसधारी तय मापदंड से अधिक अपव्यय के कारण हुई समस्त हानियों के सन्दर्भ में शुल्क का भुगतान करेगा।

दो उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी[12] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017-18 व 2018-19 के दौरान दो डिस्टिलरी ने स्पिरिट विनिर्माण (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) हेतु 75,747 क्विंटल मोलासेस का उपयोग किया था। नियमानुसार 31,25,528 प्रूफलीटर[13] अपेक्षित उत्पादन के विपरीत इन डिस्टिलरियों ने मात्र 26,10,023 प्रूफलीटर स्पिरिट के वास्तविक उत्पादन की सूचना दी। इस प्रकार, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी की आबकारी घोषणा में विनिर्दिष्ट दरों पर परिकलित ₹ 43.95 लाख[14] के आबकारी शुल्क से अंतर्ग्रस्त 5,15,505 प्रूफलीटर स्पिरिट का कम उत्पादन किया गया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

मोलासेस से स्पिरिट का उत्पादन

वर्ष	प्रयुक्त मोलासेस की मात्रा (क्विंटल में)	नियम 9.37 के अनुसार स्पिरिट का अपेक्षित उत्पादन (प्रूफलीटर में)	स्पिरिट का वास्तविक उत्पादन (प्रूफलीटर में)	उत्पादन में कमी (प्रूफ लीटर में)	गिरावट का प्रूफ लीटर से बल्क लीटर में रूपांतरण (बल्कलीटर[15] में)	प्रति बल्कलीटर प्रयोज्य आबकारी शुल्क की दर[16] (*प्रतिशत* में)	उदग्रहण योग्य आबकारी शुल्क (₹ में)
1	2	3	4	5=(3-4)	6= (5/1.68)	7	8 (6*7)
2017-18	36,231	14,94,990	12,62,550	2,32,440	1,38,357	13.50	18,67,820
2018-19	39,516	16,30,538	13,47,473	2,83,065	1,68,491	15.00	25,27,365
योग	**75,747**	**31,25,528**	**26,10,023**	**5,15,505**	**3,06,848**		**43,95,185**

[12] उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बद्दी व ऊना

[13] अल्कोहल की तीव्रता को 'डिग्री प्रूफ' के रूप में मापा जाता है। ऐसी शराब की तीव्रता के 13 भाग जिनका वजन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 12 भागों के पानी के बराबर होता है, को 100 डिग्री प्रूफ लिया जाता है। अल्कोहल के दिए गए नमूने की स्पष्ट मात्रा को 100 डिग्री की तीव्रता वाले अल्कोहल की मात्रा में परिवर्तित करने पर लंदन प्रूफ लीटर या प्रूफ लीटर कहा जाता है।

[14] उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बद्दी: ₹ 4.40 लाख व ऊना: ₹ 39.55 लाख

[15] एक बल्कलीटर = एक प्रूफलीटर/1.68; (पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में मोलासेस से उपज प्रूफलीटर दी गई है जबकि आबकारी घोषणा में निर्धारित आबकारी शुल्क बल्कलीटर के आधार पर दिया गया है अतः इकाई परिवर्तित करने की आवश्यकता है)।

[16] आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष लाई गई आबकारी घोषणा के तहत।

यह इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि हिमाचल प्रदेश में मोलासेस की गुणवत्ता अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं हैं, जिसके कारण नियमों की तुलना में कम उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित आसवनियां बहुत पुरानी है तथा यह अप्रचलित तकनीक से चलाई जा रही है। विभाग ने आश्वासन दिया कि तीन माह में प्रारंभिक अध्ययन (पायलट स्टडी) किया जाएगा एवं उत्पादन के नियमों को संशोधित करने की संभावना की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा चूंकि 1932 में निर्धारित नियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यथार्थवादी नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह मुद्दा 2009 एवं 2017 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी चिह्नांकित किया गया था। सरकार ने 2017 में बताया था कि पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के तहत निर्धारित उत्पादन के नियमों की अनुपालना संभव नहीं थी एवं नियमों के पुनर्निर्धारण का प्रयास किया जाएगा। तथापि विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि तक मोलासेस से उत्पादन के नियमों को संशोधित करने हेतु कोई क़दम नहीं उठाया।

सरकार ने सूचित किया (मार्च 2021) कि विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए है।